| S. No. | Date of order of proceeding | Order with signature of the court of ADJ- VI , Hazaribag<br><br>**BP 386/2026**<br>**Arising out of Lohsighna P.S. Case No. 183/2025**<br>**CNR NO.JHHB01-0004199-2026**<br><br>Shoaib Khan S/o Ajmal Khan<br>R/O Village-Ansar Gali No.-02, PS-Lohsighna, Dist.-Hazaribag.<br>---------- Petitioner.<br><br>Versus<br>The State of Jharkhand<br>……. opp. Party<br>Lerned councel for the Petitioner : Sri Shatrughan Pandey, Adv.<br>Lerned councel for the State : Sri Sudhir Kumar, PP.<br>U/S 406, 420, 468, 471, 506/34 IPC | Office notice taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 23-07-2026 | लोहसिंघना थाना कांड संख्या–183/2025 में काराधीन अभियुक्त/आवेदक शोएब खान के तरफ से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 06.06.2026 को प्रस्तुत जमानत आवेदन को आज प्रचालित किया गया, जिसकी एक प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्राप्त करा दी गयी है। जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना।<br><br>अभियुक्त/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक की तरफ से विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी, हजारीबाग के न्यायालय में नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया था, जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक–27.05.2026 को खारिज कर किया गया। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक की ओर से कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में न ही माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में दाखिल किया गया है। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है तथा झुठे एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्राथमिकी में लगाये गये धारा 506 भा0दं0वि0 को छोड़कर अन्य धारायें अजमानतीय है तथा अन्य धारायें आवेदक के विरूद्ध आकर्षित नहीं करता है तथा अजमानतीय बनाने के लिए लगाया गया है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि सूचक के द्वारा चार साल बाद भयादोहन हेतु मामला लाया गया है तथा प्राथमिकी एवं केस डायरी से | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Contd..<br>23-07-2026 | स्पष्ट है कि आवेदक के पास से कोई भी जाली दस्तावेज बरामद नहीं किया गया है। प्रस्तुत वाद बिल्कुल दिवानी प्रकृति का है तथा आवेदक दिनांक–13.05.2026 से कारा में निरूद्ध है तथा आवेदक न्यायालय द्वारा निर्धारित जमानत के शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं। अतः आवेदक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक का जमानत आवेदन स्वीकार करते हुए उसे जमानत पर मुक्त किया जाये।<br>विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।<br>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख एवं थाना से प्राप्त केस डायरी का अवलोकन किया। सूचक के टंकित प्रतिवेदन के आधार पर अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि सोएब खान का पुराना मकान का पता–अजमल खान, लेपो रोड, खिरगांव, हजारीबाग है तथा सोएब खान सूचक को 2022 में आई0बी0एम0 में नौकरी करने की बातों को बोलकर सूचक से 12935/–रुपया मांगा जिसे सूचक ने सोएब के मोबाईल के द्वारा पैसा भेजे। उसके बाद हमेशा सूचक से पैसे का डिमांड करता रहा और सूचक हमेशा उसे पैसा भेजते गये। कभी कॉलेज के नाम पर आई0बी0एम0 के नाम से पैसा मांगा गया वह बोला तुम्हारा आई0बी0एम0 में प्रमोशन होने वाला है तुम पैसा भेज दो। सोएब सूचक के घर पर पैसा लेने आता था और लगभग चार से पांच लाख रुपया तक पैसा लिया है। बाकी पैसा फोन–पे से ट्रांसफर हुआ है। सोएब डी0डी0 सर के नाम पर फेंक ईमेल आई0डी0 बनाकर ईमेल किया उसके बाद फेंक नोटिस बनाकर इन्कम टैक्स के नाम पर फेंक आई0डी0 सूचक को भेजा गया और कोर्ट के नाम से भी फेंक नोटिस सूचक को भेजा गया और बोलता था कि वह हजारीबाग, मुफस्सिल थाना का एस.आई. है तथा उसका भी फेंक आई0डी0 बनाकर सूचक को भेजा गया। इस तरह सूचक से सूचक के घर पर सूचक के पापा एवं मम्मी से भी लगभग अठारह लाख रुपया ठगकर ले लिया। सोएब सूचक के घर पर 14 अक्टुबर को | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Contd..<br>23-07-2026 | आकर बोला कि उसके आई0बी0एम0 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में केस करने जा रहे हैं तो सूचक की मम्मी सोएब से पूछी कि केस क्यों कर रहे हो तो वह बोला कि सैलरी क्लीयरेंस के लिए आप 2300–रुपया दीजिये तो सूचक के पापा बोला कि तुम हमेशा पैसा लेते रहता है हम टिंकु को बुलाते हैं। तो वह सूचक के घर से भागने लगा तो सूचक को शक हुआ कि सोएब इतनी तेजी से क्यों भागा तो सूचक सरिया अनवर पापा अनवर एवं सूचक की मम्मी सोएब के घर चले गये तथा उसके मम्मी पापा से पूछे कि सोएब हमारे घर पर पैसा मांग रहा था किसी चीज का फार्म भर रहा है तो उसकी मम्मी पापा बोले कि हमलोगों को नहीं मालूम। तो सूचक की मम्मी फोन कर बुलाई और अपने बेटा को डांट–डपटकर बोली कि तुम और सारिया का मदद करो तो हमलोगों को शक हुआ कि यह हमारी बेटी को और हमलोगों को ब्लैकमेल कर रहा है तब हमलोगों को सोएब पर शक हुआ। सोएब की बहन हमलोगों को धमकी देती है कि तुम्हारे पूरे परिवार को जेल भेज देंगे एवं मरवा देंगे और सभी पिरवार को किडनैप करवा देंगे। सोएब के पास सूचक का डेटा फोरमेट भी मिस–यूज किया जा सकता है। सूचक का लैपटॉप, ए0टी0एम0 पासबुक, आधार कार्ड, सोएब सूचक से मांग कर ले लिया है। सोएब के पापा, मम्मी, उसकी बहन सभी सोएब के साथ मिले हुए हैं तथा सभी एक ही भाषा बोलते हैं। सूचक की बहन अफिया अनवर की पढ़ाई सोएब के कारण से नहीं हो पाई क्योंकि नीट, मेडिकल में एडमिशन करवाना था लेकिन पैसा नहीं रहने के कारण उसकी एडमिशन नहीं हो पाई क्योंकि सोएब सूचक को झुठ, फरेब कर सारा पैसा ठग कर ले लिया। नौकरी लगाने के नाम पर सूचक के पापा मो0 अनवर एक एजेंटी का छोटा–सा काम करते हैं। सोएब के साथ बहुत लोग मिले हुये हैं, ड्रग्स का भी सेवन करता है। सूचक के टंकित प्रतिवेदन के आधार पर उपरोक्त आवेदक/अभियुक्त, अजमल खान एवं अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध लोहसिंघना थाना कांड संख्या–183/2026 अंतर्गत धारा–406, 420, 468, 471, 506/34 IPC के | |

Contd..
23-07-2026

तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया। प्राथमिकी एवं केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त है तथा उसके विरूद्ध सूचिका द्वारा आवेदक/अभियुक्त के मांग के अनुसार सूचिका की आई0बी0एम0 में नौकरी दिलाने के नाम पर विभिन्न किस्तों में कुल अठारह लाख रुपये फोन पे के माध्यम से ठग लेने एवं अभियुक्त/आवेदक द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग का फर्जी ई–मेल आई0डी0 बनाकर उसने सूचिका को फर्जी नोटिस, इन्कम टैक्स के नाम पर नोटिस, सूचिका को जान मारने की धमकी देने का सीधा एवं गंभीर आरोप है। केस डायरी के कंडिका 3, 6, 7, 8, 14 से प्राथमिकी में कहे गये कथानक का समर्थन होता है। मामले में अनुसंधान जारी है। अतः वाद के उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं आवेदक पर लगाये गये आरोप की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक/अभियुक्त शोएब खान के द्वारा दाखिल जमानत आवेदन में कोई बल नहीं पाता हूँ। अतः आवेदक शोएब खान द्वारा दाखिल जमानत आवेदन दिनांक 06.06.2026 खारिज किया जाता है।

(लेखापित)

ह0/–
(अविनाश कुमार दुबे)
अपर सत्र न्यायाधीश–VI
हजारीबाग
ऑफिसर आई0डी0 जे0एच0 00534

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवयश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

अपर सत्र न्यायाधीश–VI
हजारीबाग